न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/318
प्रकरण संख्या 166/22

अनवान

1. छगनलाल पिता रूपा लौहार निवासी अगोरिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :—30.01.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा अगोरिया पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 44 की खसरा नंबर 2034 रकबा 1.0000 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम छगनलाल पिता देवा जाति लौहार अंकित है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम रूपा है जिससे प्रार्थी द्वारा अपना नाम छगनलाल पिता देवा के बजाय छगनलाल पिता रूपा दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि :–

I. पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में राजस्व ग्राम अंगोरिया के जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 44 की खसरा नंबर 2034 रकबा 1.0000 हैक्टेयर किस्म बा. तृतीय में छगनलाल पुत्र देवा जाति लौहार सा.देह खातेदार अंकित है। यह कि आराजी नंबर 2034 के गत आराजी नंबर 706 मी. रकबा 4–13 बीघा है। आवंटन आदेश अनुसार उपखण्ड अधिकारी महो. वल्लभनगर के ओदश 924/83 आवंटन दिनांक 15.06.83 से भूमि आराजी 706/6 रकबा 4–13 बीघा छगनलाल पिता देवा जाति लवार निवासी अगोरिया के नाम आवंटित हुई। जबकी प्रार्थी के आवेदन में छगनलाल पिता रूपा दृष्टिगत हो रहा है।

II. आवंटन पत्रावली के अवलोकन अनुसार स्पष्ट रूप से छगनलाल पिता रूपा लुहार निवासी अगोरिया नाम अंकित है। जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट में छगनलाल पिता देवा जैसा दृष्टिगत होकर कार्यालय उप जिलाधीश वल्लभनगर की पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:10 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 924/83 में छगनलाल पिता रूपा दर्ज है। लेकिन पटवारी के दखल नामा में छगनलाल के पिता का नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह देवा है या रूपा। लेकिन उपखण्ड अधिकारी के आदेश में छगनलाल पिता देवा अंकित है। आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर नाम शुद्धि किए जाने का निवेदन किया। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज राशनकार्ड में छगनलाल पिता रूपलाल आधार कार्ड में छगनलाल पिता रूपलाल अंकित है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 44 की आराजी नंबर 2034 में प्रार्थी का नाम छगनलाल पुत्र देवा जाति लौहार अंकित है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम छगनलाल पिता रूपा लौहार है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया कि प्रार्थी की आराजी नंबर 2034 के गत आराजी नंबर 706 मी. रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी महोदय वल्लभनगर के आवंटन आदेश 924/83 दिनांक 15.06.83 से आराजी 706/6 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि छगनलाल पिता देवा जाति लौहार के नाम आवंटित हुई थी। प्रार्थी ने अपने आवंटन प्रार्थना पत्र छगनलाल पिता रूपा लुहार के नाम से भरा था जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट में छगनलाल पिता रूपा अंकित है लेकिन पटवारी के दखल नामा में छगनलाल के पिता का नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह देवा है या रूपा जबकि उपखण्ड अधिकारी के आदेश में छगनलाल पिता देवा अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत बरोड़िया का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड व राशन कार्ड की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम छगनलाल पिता रूपलाल अंकित है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में अपना नाम छगनलाल पिता रूपा के नाम से आवेदन किया गया था किन्तु उपखण्ड अधिकारी महोदय वल्लभनगर के आदेश 924/83 दिनांक 15.06.83 में आवंटन आदेश छगनलाल पिता देवा के नाम से किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार ने के लिए अन्तर्गत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:10 IST
Reason: SelfAttested

धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन किया गया है जो इस धारा के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। प्रार्थी उक्त त्रुटि को सुधार ने के लिए अन्य धारा के तहत आवेदन कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: :आदेशः :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:10 IST
Reason: SelfAttested